



2026:AHC:48799

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-बी संख्या-165/2026

जवाहर लाल

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता: पवन कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या- 54**

**माननीय न्यायमूर्ति दिनेश पाठक,**

1. समेकन बन्दोबस्ती अधिकारी ने दिनांक 11.02.2026 के आदेश को अनुपालन में आज न्यायालय में अपना व्यक्तिगत शपथपत्र दाखिल किया है, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
3. यह रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के लिए दायर की गई है:-  
“(क) तहसीलदार, सदर, जिला-महाराजगंज को यह निर्देश देने के लिए परमादेश जारी किया जाए कि वे अपील संख्या 625/2025 (202554054700000625) में आवेदन 6 सी पर शीघ्रता से, अधिमानतः संबंधित न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि को भीतर, निर्णय लेने हेतु निपटान अधिकारी चकबंदी, जिला-महाराजगंज की दैनिक कार्यवाही को पूरा करें, अन्यथा वादी/याचिकाकर्ता को अपूरणीय हानि और क्षति होगी।”
4. यह निवेदन किया जाता है कि समेकन अधिकारी द्वारा दिनांक 25.07.2025 को पारित आदेश से व्यथित होकर, वर्तमान याचिकाकर्ता ने 26.07.2025 को अपील दायर की है। अपील के साथ, याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के लिए भी एक आवेदन दायर किया है। आवेदन दायर करने की तिथि से ही स्थगन आवेदन विचाराधीन है।
5. माननीय स्थायी अधिवक्ता को अपील संख्या 625/2025 में याचिकाकर्ता द्वारा दायर स्थगन आवेदन शीघ्र निस्तारण के लिए निर्देश जारी करने में कोई आपत्ति नहीं है।
6. उपरोक्त परिस्थितियों में, इस मामले को लंबित रखने से कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए, यह न्यायालय मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना, जैसा कि रिट याचिका में उल्लेख किया गया है, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करना उचित समझता है और प्रतिवादी संख्या 2 (बंदोबस्ती अधिकारी चकबंदी) को निर्देश देता है कि वे उपरोक्त स्थगन आवेदन पर तिथि के अनुसार शीघ्रता से, अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से 20 दिनों के भीतर निर्णय लें।
7. उपरोक्त निर्देश के साथ, इस याचिका का अंतिम निस्तारण किया जाता है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि न्यायालय कार्य से अनुपस्थित रहता है, तो समेकन के बंदोबस्ती अधिकारी मामले का निर्णय करेंगे और पक्षों को व्यक्तिगत रूप से सुनने के उपरांत उचित आदेश पारित करेंगे।

(दिनेश पाठक, न्यायमूर्ति)

10 मार्च, 2026

नीतू

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”